समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
-:आदेश:-

संक्षिप्त विवरणी:- श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लि0, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा ने दिनांक 14.10.2006 को दिनांक 16.10.2006 से 20.10.2006 तक त्योहार मनाने के लिये आकस्मिक अवकाश हेतु अनुरोध किया। श्री अनुपम प्रसाद सिंह आवेदित अवधि तक अवकाश का उपभोग कर अपने कर्त्तव्य पर वापस नहीं लौटे तथा 16.10.2006 से अब तक लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अवकाश बढ़ोतरी के संबंध में भी कोई आवेदन समर्पित नहीं किया गया। वे लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहे।

अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक 754-2 दिनांक 08.10.2007 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह द्वारा कुरियर के माध्यम से स्पष्टीकरण भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि पत्नी की तबियत खराब है, ठीक होने पर ही कार्यालय आ सकेंगे। अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 227-2 दिनांक 02.06.2008 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 261-2/स्था0, दिनांक 02.06.2008 द्वारा श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लि0 से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा आवासीय पता पर यह पत्र भेजा गया, जिसका उत्तर अब तक अप्राप्त है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1524-2 दिनांक 9.12.2011 द्वारा सूचित किया कि श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लिपिक कार्य पर वापस नहीं लोटे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 631-2/स्था0, दिनांक 27.12.2011 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जिला स्थापना शाखा निर्धारित किया गया, तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन उनके निलम्बन अवधि में उनके द्वारा जिला स्थापना शाखा में कभी उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 935-2/सपत्र, दिनांक-10.07.12 से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कर प्राप्त हुआ।

आरोप:- श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लिपिक दिनांक 14.10.2006 को त्योहार के अवसर पर दिनांक 16.10.2006 से 20.10.2006 तक के लिये आवेदन देकर दिनांक 16.10.2006 से आज तक बिना किसी पूर्व सूचना या किसी अवकाश बढ़ोतरी आवेदन के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति:-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-671-2/स्था0, दिनांक 28.12.2012 द्वारा श्री राकेश कुमार, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री कुमार अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 915-2/स्था0, दिनांक 18.10.2013 द्वारा अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही का संचालन:-

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दिनांक 11.01.2014 को प्रपत्र 'क' की प्रति आरोपित कर्मचारी को उपलब्ध कराने के लिये निबंधित डाक से श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लि0 के गृह पता पर भेजा गया तथा सुनवाई हेतु अगली तिथि-22.01.2014 निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि पर आरोपित कर्मी उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से कोई उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति में अपर समाहर्त्ता द्वारा अधिगम जिलाधिकारी को भेजा गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–

अनेक स्मार पत्रों एवं उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा सूचना भेजे जाने के बावजूद श्री सिंह का उपस्थित नहीं होना और कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया जाना, स्पष्ट तौर पर उनके उपर लगाये गये आरोपों की पुष्टि करता है।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य, अधिगम एवं अभिलेख के समीक्षोपरान्त श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा सरकारी सेवा के इच्छुक नहीं हैं। वे दिनांक 16.10.2006 से अबतक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं। फलतः बिहार सेवा संहिता के नियम 76 में वर्णित नियम एवं बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण वर्गीकरण एवं अपील की नियमावली–2005 एवं संशोधित नियमावली–2007 के नियम 14(X) में विनिदृष्ट प्रावधान के आधार पर मैं गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त(Dismiss) करता हूँ। भविष्य में इन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवान्त लाभ देय नहीं होगा।

श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा से संबंधित विवरणीः–

1. सरकारी सेवक का नामः– श्री अनुपम प्रसाद सिंह
2. पिता का नामः– स्व0 कृष्ण चन्द्र प्रसाद सिंह
3. जन्म तिथिः– 07.04.1972
4. नियुक्ति की तिथिः– 12.07.2005
5. वेतनमानः– 3050–75–3950–80–4590
6. स्थायी पताः– ग्राम+पो0+थाना- सहियारा, जिला–सीतामढ़ी।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 519-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 05-07-2014

प्रतिलिपिः– श्री अनुपम प्रसाद सिंह, नि0व0लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप–विकास आयुक्त, मधेपुरा/अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/अपर समाहर्त्ता, आ0प्र0,मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ सभी प्रभारी पदाधिकारी, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राष्ट्रीय मुद्रालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ आई टी मनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/07/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।